(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1295–तीन/2014 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–3–2013– पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी – प्रकरण क्रमांक 593/2011–2012 बी 121

मेहरवान सिंह पुत्र मोतीसिंह लोधी
ग्राम भयावन तहसील पिछोर
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश
–––––आवेदक

विरूद्ध

1– अजयकुमार पुत्र श्यामलाल गुप्ता
ग्राम मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी
2– गोपाल पुत्र रामदास पहारिया ग्राम मनपुरा
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी
3– अशोककुमार पुत्र विश्वनाथ पहारिया
ग्राम मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी
––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़ धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 5–12–2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 593/2011–2012 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 27–3–13 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के समक्ष मध्य प्रदेश समाज के कमजार वर्ग के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसे ग्राम भयावन की भूमि सर्वे कमांक 516/1 रकबा 1–041 हैक्टर भूमि का तहसीलदार पिछोर ने प्र.क. 115 / 84–85

अ-19 से दिनांक 6-6-1985 को पट्टा दिया था, किन्तु अनावेदक क्रमांक-1 ने धोखा देकर पट्टे की भूमि गिरबी रखकर रजिस्ट्री करा ली है इसलिये मध्य प्रदेश समाज के कमजार वर्ग के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी भूमि वापिस दिलाई जावे। अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर ने प्रकरण क्रमांक 593/2011-2012 बी 121 पॅजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 27-3-13 पारित किया तथा निर्णीत किया कि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ऋण नियत दिन 1 जनवरी 1971 या उसके पश्चात् का होना चाहिए। आवेदन की अधिकतम सीमा 31 जनवरी 1984 है । विवादित ऋण संव्यवहार एंव विक्रय पत्र दिनांक 10-10-94 का है जो कि अवधि वाह्य है एंव आवेदक के आवेदन को अमान्य कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ तर्को के दौरान आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि वाद विचारित भूमि पट्टे की है और ऐसी भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना न तो बंधक रखी जा सकती है और कलेक्टर की अनुमति के बिना अंतरण भी नहीं किया जा सकता है किन्तु आवेदक की पट्टे की भूमि छल करके रहन स्वरूप लेकर विक्रय पत्र संपादित कराया है इसलिये विक्रय पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

यह मामला मध्य प्रदेश समाज के कमजार वर्ग के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत विचारित है जिसके कारण संहिता की धारा 165 के प्रावधानों पर इस मामले में विचार करना संभव नहीं है। यदि आवेदक इन नियमों का सहारा लेना चाहता है, वह सक्षम न्यायालय में तद्नुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी व्दारा मध्य प्रदेश समाज के कमजार वर्ग के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 593/2011-2012 बी 121 में आदेश

दिनांक 27-3-13 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश समाज के कमजार वर्ग के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 की धारा 8 में अपील के सम्बन्ध में इस प्रकार व्यवस्था है :-

8– अपील – कोई भी व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन उपखंड अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को अपील ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में करेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जैसाकि विहित किया जाय।

आगे धारा 9 में आदेश की अंतिमता बताई गई है :-

9– आदेश की अंतिमता – इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय कलेक्टर व्दारा अपील में किया गया प्रत्येक आदेश या अपील फाइल न की जाने की दशा में उपखंड अधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा तथा वह किसी भी न्यायालय , प्राधिकारण या प्राधिकारी में अपील या पुनरीक्षण के तौर पर या किसी मूल वाद, आवेदन या किन्ही निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

1. बाबूजी विरूद्ध हरीराम 1993 राजस्व निर्णय 69 में बताया गया है कि मध्य प्रदेश समाज के कमजार वर्ग के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रकरण राजस्व मण्डल अथवा आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण में चलाने योग्य नहीं है।
2. सलीम खां विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1986 रा0नि0 121 पर मान. उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि यदि हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचना और सुनवाई का अवसर न दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे आदेश को याचिका व्दारा चुनौती देना न्यायोचित है।

उपरोक्त के प्रकाश में विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य नहीं होने से गुणदोष पर विचार किये बिना अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर